कार्य का आबंटन

व्यय विभाग

1. वित्तीय नियम एवं विनियम और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित ऐसी वित्तीय संस्वीकृतियां जो नियमों अथवा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्तियों में शामिल नहीं हैं।

3. किफायत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिष्ठानों में स्टाफ व्यवस्था का पुनरीक्षण।

4. लागत लेखा मामलों में मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को सलाह देना तथा उनकी ओर से लागत संबंधी जांच करना।

5. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग।

6. महालेखानियंत्रक से संबंधित मामले, जिनमें शामिल हैं:-

(क) संघ या राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांत और लेखा प्रारूप, और इससे संबंधित नियम और नियम-पुस्तिका तैयार करना या उनका पुनरीक्षण;

(ख) सामान्य तौर पर संघ सरकार के नकद शेष का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलान करना और, विशेष रूप से सिविल मंत्रालयों या विभागों से संबंधित आरक्षित जमा राशि का मिलान करना;

(ग) केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखांकन के उपयुक्त मानकों के अनुपालन की निगरानी;

(घ) मासिक लेखाओं का समेकन, राजस्व प्राप्ति के रुझानों की समीक्षा और व्यय के मुख्य संकेत तैयार करना तथा केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ संबंधित शीर्षों के अंतर्गत वार्षिक आय और संवितरण दर्शाते हुए वार्षिक लेखे (सार, सिविल विनियोजन लेखे सहित) तैयार करना;

(ङ) केन्द्रीय कोषागार नियम और केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और भुगतान नियमावली, 1983) का प्रशासन;

(च) सिविल मंत्रालयों या विभागों में प्रबंधन लेखांकन प्रणाली लागू करने में समन्वय एवं सहायता;

(छ) समूह 'क' (भारतीय सिविल लेखा सेवा) तथा केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के समूह 'ख' अधिकारियों का संवर्ग प्रबंधन;

(ज) केन्द्रीय सिविल लेखा के समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों से संबंधित मामले;

(झ) केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों और पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का संवितरण।

7. राज्य की वार्षिक योजना, राज्य के आपदा राहत कोष में केन्द्र का अंशदान, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों के लिए उन्नयन अनुदान और अनुदान तथा उत्तरवर्ती वित्त आयोगों द्वारा यथा अनुशंसित अन्य अनुदानों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करना।

8. राज्यों की वित्तीय स्थिति, राज्यों की दैनिक वित्तीय समस्याओं और राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों का विश्लेषण।

9. केन्द्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक/पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भागीदारी। योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और बजटेतर संसाधनों का आकलन।

10. केन्द्र और राज्यों के वित्तीय और आर्थिक निहितार्थ वाले विधानों की जांच करना।

11. केन्द्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योजना निवेश/व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन। व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड की प्रक्रियाओं से संबंधित मामले तथा सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सचिवालयी कार्य।

12. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजीगत पुनर्संरचना/पुनरुद्धार प्रस्तावों का मूल्यांकन/अनुमोदन।

13. लोप कर दिया गया है।[i]

---

[i] दिनांक 12.09.2015 के संशोधन सं. 318 के तहत लोप कर दिया गया है (पहले दिनांक 09.10.2013 के संशोधन सं. 304 के तहत शामिल किया गया था)।